

पत्रांक सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18  
रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश  
एल0डी0ए0 कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,  
विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।  
दिनांक::लखनऊ:: 28 अगस्त, 2017

### आहरण वितरण अधिकारी

मुख्यालय लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती,  
गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मेरठ, औरैया,  
झांसी, कानपुर नगर, फतेहपुर, सोनभद्र, सहारनपुर।


रेशम विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-16/2017/169/74-2-2017-16(ब)/2017 दिनांक 18 मई, 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु रू0 52,00,000.00 (रूपये बावन लाख मात्र) की स्वीकृति अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-06-जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू0 52.00 लाख के सापेक्ष प्रथम पाँच माह हेतु (अप्रैल से अगस्त, 2017) हेतु लेखानुदान रू0 21.66 लाख एवं शासनादेश संख्या-31/2017/647/74-2-2017-16(ब)/2017 दिनांक 25.08.2017 द्वारा अवशेष सात माह हेतु रू0 30.34 लाख इस प्रकार कुल रू0 52.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 25.08.2017 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से रू0 30.30 लाख (रूपये तीस लाख तीस हजार मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है :-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व एसी स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
2. जिन मदों में धनराशि आवंटित की जा रही है उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय की जाय अर्थात् किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन न किया जाय।
3. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
5. शासन द्वारा समय-समय पर मितव्ययता से संबंधित निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
6. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (दिनांक 10.03.2018 तक) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. आवंटित धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी दशा में कोषागार से धनराशि आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

8. उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016-बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में दिये गये शर्तों /नियमों के अनुसार किया जाए।
9. आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग अपने से संबंधित जनपदों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए व्यय किया जाए।
10. योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाए।
11. आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-Payment ही किया जाए।
12. उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग निदेशालय के पत्र सं0-824-सी/सेरी0/तक0/जाग0कृ0प्रशि0 /2017-18 दिनांक 23 जून 2017 में दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार किया जाएगा।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-06-जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं0-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-55 पर कर ली गई है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


  
 (अनिल कुमार यादव)  
 निदेशक (रेशम)

पत्रांक 018 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्न को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, औरैया, बस्ती, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर, सोनभद्र, कुशीनगर, पीलीभीत, मेरठ, बहराइच, कानपुर नगर, झांसी, सहारनपुर।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कैम्प निदेशक, रेशम, मुख्यालय-लखनऊ।
6. उप निदेशक, रेशम मुख्यालय-लखनऊ।
7. व्यय सहायक एवं वरिष्ठ आडिटर मुख्यालय-लखनऊ।
8. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड कर दे।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

  
 (अमितोष श्रीवास्तव)  
 वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

पत्रांक ०१८/सेरी०/लेखा/आयो० बजट/२०१७-१८ दिनांक: २८ अगस्त, २०१७ का अनुदानक

अनुदान सं०- १०- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

२८५१- ग्राम तथा लघु उद्योग -१०७-रेशम उत्पादन उद्योग

०६-जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना के अन्तर्गत वर्ष २०१७-१८ हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

(धनराशि ₹० में)

क्र० सं०	आहरण एवं वितरण अधिकारी का पदनाम	जनपद	कोषागार का नाम	आवंटित धनराशि			योग	पूर्व में आवंटित धनराशि	प्रणामी योग
				१८-प्रकारान	४२-अन्य व्यय	४४-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रारंभिक व्यय			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	उप निदेशक (रेशम)	रेशम निदेशालय, मुख्यालय, लखनऊ	जवाहर भवन, लखनऊ	११७०००	११६७०००	०	१२८४०००	९१६०००	२२०००००
		योग		११७०००	११६७०००	०	१२८४०००	९१६०००	२२०००००
२	उप निदेशक (रेशम)	वाराणसी	वाराणसी	०	०	२००००	२००००	१५०००	३५०००
३		चन्दौली	वाराणसी	०	०	२००००	२००००	१५०००	३५०००
४		मिर्जापुर	वाराणसी	०	०	४१०००	४१०००	२९०००	७००००
५		गाजीपुर	वाराणसी	०	०	२००००	२००००	१५०००	३५०००
६		जौनपुर	वाराणसी	०	०	२००००	२००००	१५०००	३५०००
७		संतरबिदास नगर	वाराणसी	०	०	२००००	२००००	१५०००	३५०००
		योग		०	०	१४१०००	१४१०००	१०४०००	२४५०००
८	सहायक निदेशक (रेशम)	झाँसी	झाँसी	०	०	४१०००	४१०००	२९०००	७००००
९	सहायक निदेशक (रेशम)	ललितपुर	झाँसी	०	०	२००००	२००००	१५०००	३५०००
१०	सहायक निदेशक (रेशम)	जालौन	झाँसी	०	०	२००००	२००००	१५०००	३५०००
११	सहायक निदेशक (रेशम)	बाँदा	झाँसी	०	०	२००००	२००००	१५०००	३५०००
१२	सहायक निदेशक (रेशम)	हमीरपुर	झाँसी	०	०	४१०००	४१०००	२९०००	७००००
१३	सहायक निदेशक (रेशम)	चित्रकूट	झाँसी	०	०	२००००	२००००	१५०००	३५०००
		योग		०	०	१६२०००	१६२०००	११८०००	२८००००
१४	सहायक निदेशक (रेशम)	औरैया	औरैया	०	०	४१०००	४१०००	२९०००	७००००
१५	सहायक निदेशक (रेशम)	इटावा	औरैया	०	०	२००००	२००००	१५०००	३५०००
१६	सहायक निदेशक (रेशम)	मैनपुरी	औरैया	०	०	२०५००	२०५००	१४५००	३५०००
		योग		०	०	८१५००	८१५००	५८५००	१४००००
२०	सहायक निदेशक (रेशम)	फतेहपुर	फतेहपुर	०	०	१२३०००	१२३०००	८७०००	२१००००
		योग		०	०	१२३०००	१२३०००	८७०००	२१००००
२१	सहायक निदेशक (रेशम)	कानपुर नगर	कानपुर नगर	०	०	७००००	७००००	४९०००	११९०००
२२	सहायक निदेशक (रेशम)	कानपुर देहात	कानपुर नगर	०	०	८१५००	८१५००	५८५००	१४००००
२३	सहायक निदेशक (रेशम)	उन्नाव	कानपुर नगर	०	०	४१०००	४१०००	२९०००	७००००
		योग		०	०	१९२५००	१९२५००	१३६५००	३२९०००
२४	सहायक निदेशक (रेशम)	कुशीनगर	कुशीनगर	०	०	६१०००	६१०००	४४०००	१०५०००
२५	सहायक निदेशक (रेशम)	देवरिया	कुशीनगर	०	०	२०५००	२०५००	१४५००	३५०००
		योग		०	०	८१५००	८१५००	५८५००	१४००००
२६	सहायक निदेशक (रेशम)	बहराइच	बहराइच	०	०	८२०००	८२०००	५८०००	१४००००
२७	सहायक निदेशक (रेशम)	श्रावस्ती	बहराइच	०	०	४१०००	४१०००	२९०००	७००००
		योग		०	०	१२३०००	१२३०००	८७०००	२१००००
२८	सहायक निदेशक (रेशम)	गोण्डा	गोण्डा	०	०	८२०००	८२०००	५८०००	१४००००
२९	सहायक निदेशक (रेशम)	बलरामपुर	गोण्डा	०	०	४१०००	४१०००	२९०००	७००००
३०	सहायक निदेशक (रेशम)	लखनऊ	गोण्डा	०	०	१२०००	१२०००	९०००	२१०००
३१	सहायक निदेशक (रेशम)	बाराबंकी	गोण्डा	०	०	१२०००	१२०००	९०००	२१०००
		योग		०	०	१४७०००	१४७०००	१०५०००	२५२०००
३२	उप निदेशक (रेशम)	गोरखपुर	गोरखपुर	०	०	६१०००	६१०००	४४०००	१०५०००
३३	उप निदेशक (रेशम)	महाराजगंज	गोरखपुर	०	०	६१०००	६१०००	४४०००	१०५०००
		योग		०	०	१२२०००	१२२०००	८८०००	२१००००


*(Handwritten Signature)*

34	सहायक निदेशक (रेशम)	बस्ती	बस्ती	0	0	82000	82000	58000	140000
34	सहायक निदेशक (रेशम)	सिद्धार्थ नगर	बस्ती	0	0	0	0	0	0
		योग		0	0	82000	82000	58000	140000
35	सहायक निदेशक (रेशम)	लखीमपुर	लखीमपुर	0	0	61000	61000	44000	105000
36	सहायक निदेशक (रेशम)	सीतापुर	लखीमपुर	0	0	41000	41000	29000	70000
		योग		0	0	102000	102000	73000	175000
37	सहायक निदेशक (रेशम)	सहारनपुर	सहारनपुर	0	0	61000	61000	44000	105000
		योग		0	0	61000	61000	44000	105000
38	सहायक निदेशक (रेशम)	मेरठ	मेरठ	0	0	41000	41000	29000	70000
39	सहायक निदेशक (रेशम)	बिजनौर	मेरठ	0	0	41000	41000	29000	70000
		योग		0	0	82000	82000	58000	140000
41	सहायक निदेशक (रेशम)	पीलीभीत	पीलीभीत	0	0	61000	61000	44000	105000
42	सहायक निदेशक (रेशम)	शाहजहाँपुर	पीलीभीत	0	0	41000	41000	29000	70000
43	सहायक निदेशक (रेशम)	बरेली	पीलीभीत	0	0	20500	20500	14500	35000
44	सहायक निदेशक (रेशम)	रामपुर	पीलीभीत	0	0	20500	20500	14500	35000
45	सहायक निदेशक (रेशम)	जे०पी० नगर	पीलीभीत	0	0	20500	20500	14500	35000
		योग		0	0	163500	163500	116500	280000
46	सहायक निदेशक (रेशम)	सोनभद्र	सोनभद्र	0	0	82000	82000	58000	140000
		योग		0	0	82000	82000	58000	140000
		महायोग		117000	1167000	1746000	3030000	2166000	5195000

( ₹० तीस लाख तीस हजार मात्र )

तेरह अंको का कोड नम्बर

2	8	5	1	0	0	1	0	7	0	6	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



(अमितोष श्रीवास्वत)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी